राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 59/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/98
दायर दिनांक– 07.07.2022
निर्णय दिनांक– 23.08.2023

उनवानी–

1. रामस्वरूप पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवतसर तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर

....वादी

बनाम

1. श्योजी पुत्र लक्ष्मण
2. गीता पत्नि श्योजी
3. जीवण पुत्र श्योजी
   प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जाति जाट, निवासी ग्राम त्योद तह0 रूपनगढ़
4. रामचन्द्र पुत्र रामकरण
5. धारा पत्नि रामचन्द्र
6. राजादेवी पत्नि रघुनाथ
   प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा तह0 रूपनगढ़
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की स्वामित्व, कब्जे काश्त एवं एकल खातेदारी की आराजी ख0न0 1101/1267 रकबा 0.6067 हैक्ट0 ग्राम त्योद पटवार हल्का त्योद तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त कृषि भूमि पर वादी का कब्जा, काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा एवं दखल नहीं है। वादी वर्णित आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है एवं वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एवं उनके परिवारजन को अनाधिकृत रूप से जबरन प्रवेश करने तथा वादी के कब्जे काश्त में कृषिकीय कार्य में बाधा, रूंकावट–व्यवधान उत्पन्न करने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बलशाली एवं संख्या में अधिक होने के कारण आये वादी को उसके कब्जे, काश्त एवं कृषकीय कार्य में, उपयोग, उपभोग में बाधाकारित करके हैरान व परेशान [illegible] है, काश्त में नुकसान करते है तथा लड़ाई झगड़ा करके डरा–धमका कर वादी को [illegible] से जबरन बेदखल करने पर आमादा रहते है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द हेतु वाद न्यायालय में पेश किया गया है। वादी ने [illegible] भूमि में प्रतिवादीगण से हैरान परेशान होकर अपनी खातेदारी भूमि का विधिक रूप से [illegible] करवाने हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर हल्का पटवारी के नाम सीमाज्ञान के आदेश करवाये। जिस पर हल्का पटवारी दिनांक 24.06.2022 को सीमाज्ञान करने पहुंचे परन्तु वादी व पड़ौसी खातेदार मौके पर सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं करने व लड़ाई–झगड़ा करने का आतुर हो गये इस कारण वादी की भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया। हल्का पटवारी मौका पर्चा वाद पत्र में संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:18:04 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रवितादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लायी गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी जो निम्नानुसार है–

1. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति का अधिकारी है। ..... जिम्मे वादी

2. अन्य अनुतोष !

वकील वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी का पेश किया गया, जिस पर वादी के बयान लिये गये। प्रकरण में वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है व वादी को जबरन बेदखल करने को उतारू है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन व दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया। वकील वादी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी न0 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादग्रस्त आराजी ख0न0 ख0न0 1101/1267 रकबा 0.6067 हैक्ट0 भूमि वादी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादग्रस्त आराजी के पास प्रतिवादीगण की भूमि है। वादी स्वयं अपनी ही भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा चाहता है। उक्त ग्राम त्योद का राजस्व नक्शा उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं मौके पर फसल काश्त होने के कारण सीमाज्ञान की कार्यवाही भी नहीं हो पायी है। वादी की तरफ से पत्रावली में ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर कहीं काबिज है। तहसीलदार रूपनगढ़ के जवाब व मौका पर्चा रिपोर्ट में भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर अवैध कब्जे को कही नहीं दर्शाया गया है। अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

इस प्रकार वादी अपना वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का साबित करने में असमर्थ रहा है। अतः वादी द्वारा अपना वाद साबित नहीं करा पाने से वादी का वाद अंतर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:16:04 IST
Reason: SelfAttested

23.8.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 59/2022

1- रामस्वरूप पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांवतसर तह0 किशनगढ़ जिला अजमेर

....वादी

बनाम

1. श्योजी पुत्र लक्ष्मण
2. गीता पत्नि श्योजी
3. जीवण पुत्र श्योजी

   प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जाति जाट, निवासी ग्राम त्योद तह0 रूपनगढ़
4. रामचन्द्र पुत्र रामकरण
5. धारा पत्नि रामचन्द्र
6. राजादेवी पत्नि रघुनाथ

   प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा तह0 रूपनगढ़
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सें आज दिनांक 23.08..2023 को जारी की गई।

23.8.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:16:04 IST
Reason: SelfAttested